प्र.सं. 86/2017 हकरा बनाम देवा

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.10.2021	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा चतरपुरा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 8, 10, 11 व प्रतिवादी संख्या 9, 19 के पिता धर्मा के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे का त की वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजी नंबर 254, 259 से 263, 291 से 293, 298 से 301, 303 से 313, 315 से 317 कुल किता 27 रकबा 1.9200 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें वादीगण का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 8 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9, 10 के पिता धर्मा एवं प्रतिवादी संख्या 11 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में अंकित है। उक्त भूमि का अभी विधिवत विभाजन हुआ है, जिससे भूमि विकास में परे ाानी आती है। अतः उपरोक्तानुसार विभानज किया जाकर खाता प्रथक–प्रथक दर्ज किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 08.02.2017 से वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा दिनांक 20.08.2020 को इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री भूपेन्द्र चौहान उपस्थित हुए। रेस्पो. सं. 3 की ओर से राजकीय अभिभाशक श्री कमले ा चौहान उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से वकील श्री मनीश भार्मा उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को कथित निर्णय व डिक्री की जानकारी अभी हाल ही में पटवारी हल्का के माध्यम से हुई। तत्प चात नकले प्राप्त कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी है। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः अपील मयाद में शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया। हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवण हेतु ग्रहण की जाती है। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि विवादित भूमि के तीन ख	

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:24:23 IST
Reason: SelfAttested

भेरा, कोलिया एवं लखा थे एवं प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा था, किन्तु हाल की जमाबन्दी में गलत अंकन हो गया। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी न्यायोचित कारण अपीलान्टगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए वाद डिक्री कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज करने की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05.01.2016 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदे ा दिये गये, जिस पर प्रतिवादी संख्या 11 व 12 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदे ा 9 नियम 7 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ''प्रार्थीगण अनपढ़ होकर प्रकरण में अधिवक्ता कैला ा को नियुक्त कर रखा था, किन्तु बाद में हमारे अधिवक्ता के नहीं मिलने के खारित न्यायालय से हमारे विरूद्ध एकतरफा आदे ा देकर जवाब बन्द कर दिया। वादी ने दावे में गलत हिस्से अंकित किये हैं। अतः प्रकरण दोतरफा फरमाया जावे।'' उक्त विवेचन से स्पश्ट है कि अपीलान्टगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है, जिससे न्यायालय हाजा में अपीलान्टगण द्वारा ली गयी आपत्तियों का साक्ष्य अनुसार विवेचन नहीं हुआ है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटि पूर्ण है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण सं. 45/2014 निर्णय दिनांक 08.02.2017 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलान्टगण को सुनवाई का समुचित अवसर देकर एवं उन्हें सुनकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर विधि के आलोक में निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.12.2021 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L. Chauhan
Date: 2021.11.16 12:24:23 IST
Reason: SelfAttested

(एम. एल. चौहान)
खण्डपीठ अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर